

प्रेषक

संख्या:ई0डी0एन0-यू-(ई-11)निजी स्कूल/25% आरक्षण /2023 2804
कार्यालय,
उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
ऊना, जिला ऊना हि0प्र0 । 01/08/23

प्रेषित

समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
निजी पाठशाला जिला ऊना हि0प्र0 ।

विषय : Regarding Submission of fee reimbursement cases under 25% Reservation to weaker Section and Disadvantages groups children's in all the Educational Institutions Including privately managed Schools and Public Schools under section-12 of RTE Act,2009.

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हि0प्र0 शिमला कार्यालय पत्र संख्या ई0डी0एन0 एच0(प्र0)(4)-4-6/2015(आर0टी0ई0) दिनांक 28-07-2023 के सन्दर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12 के नियमानुसार हिमाचल प्रदेश के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रदेश के समय (पहली कक्षा) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के छात्रों हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आप अपनी पाठशाला से सम्बन्धित फीस प्रतिपूर्ति के मामले समस्त दस्तावेजों सहित (साफ्ट और हार्ड कॉपी के रूप में)को पूर्णतया भरकर 05 अगस्त, 2023 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। साफ्ट कॉपी गुगल शीट के लिंक :- <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PMmLUocaDdVq8fZnucqq0gfSsVDgQp7W29c5JZpYWI/edit?usp=sharing> पर भरना सुनिश्चित करें , ताकि अलाभित छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति हेतु मामले निदेशालय को समय रहते उपलब्ध करवाए जा सकें । विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे ।

उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
ऊना, जिला ऊना हि0प्र0 ।

प्रतिलिपि:

1.निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हि0प्र0 शिमला को उनके कार्यालय पत्र संख्या उपरोक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ हेतु ।

उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,